

डॉ० कलाम कृषि महाविद्यालय , किशनगंज के निर्माण कार्य में कार्य के परामर्शी डी०डी०एफ० कंसलटेंट प्रा० लि०, 501, बी०-०९, आई०टी०एल० टावर, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली को उन्हें डिबार मुक्त करने के लिए दिनांक-23.07.2018 को आहूत तकनीकी मूल्यांकन समिति के बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति:-

1. श्री राम सागर प्रसाद, मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना — अध्यक्ष
2. श्री तपेश्वर प्रसाद साह, महाप्रबंधक (वित्त), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना — सदस्य
3. श्री रंजित प्रसाद सिंह, महाप्रबंधक (उत्तर), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना — सदस्य
4. श्री शिवानंद, उप महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पूर्णिया — सदस्य
5. श्री मिथिलेश कुमार मिश्रा, महाप्रबंधक (मु०/परामर्शी सेवा), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना—
विशेष आमंत्रित सदस्य

तकनीकी प्रतिवेदन:-

(i) डॉ० कलाम कृषि महाविद्यालय किशनगंज के लिए 350.4 एकड़ जमीन का हस्तान्तरण, इसका सीमांकन, कन्ट्र सर्वे, मिट्टी जाँच तथा बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से प्राप्त विभिन्न संकाओ/विभागों के लिए space requirement के आधार पर गठित तकनीकी अनुमोदित स्थूल प्राक्कलन पर कृषि विभाग के पत्रांक-2803 दिनांक-29.05.2013 के द्वारा ₹562.50 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त RFP आमंत्रित कर कार्य हेतु डी०डी०एफ० कन्सलटेन्ट्स, पीतमपुरा, नई दिल्ली को परामर्शी के रूप में चयनित किया गया।

(ii) परामर्शी से प्राप्त D.P.R. के आधार पर ₹570.38 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति (मूल) प्रदान की गयी। तत्पश्चात् नियमानुसार निविदा आमंत्रित कर मे० सांपूरजी पालुनजी एण्ड कम्पनी प्रा० लि०, कोलकाता को 18.25% अधिक दर पर निदेशक पर्वद द्वारा गठित प्राधिकृत निविदा समिति के द्वारा कार्य आवंटित किया गया। तदनुसार निगम के पत्रांक 2109 दिनांक 13.12.2013 द्वारा मे० सांपूरजी पालुनजी एण्ड कम्पनी प्रा० लि०, कोलकाता को ₹593.10 करोड़ की राशि का कार्यावंटन आदेश निर्गत किया गया। उप महाप्रबंधक, पी०आई०यू०, पूर्णिया द्वारा SBD के तहत एकरारनामा सं०- SBD 01/2013-14 दिनांक-26.12.2013 को सम्पन्न किया गया। एकरारनामा के अनुसार कार्यपूर्ण करने की अवधि 24 माह यानि दिनांक: 25.12.2015 तक निर्धारित थी।

(iii) एकरारनामा के मदों के अतिरिक्त महाविद्यालय परिसर एवं बाह्य भू-खंडों के आंतरिक जल निस्सरण हेतु नाली आदि का निर्माण एवं अधिक दर पर निविदा निष्पादित राशि को समावेशित कर पुनरीक्षित अनुमोदित प्राक्कलन प्रशासी विभाग को समर्पित किया गया। जिसके आलोक में कृषि विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-5124, दिनांक-14.11.2014 के द्वारा ₹683.392 करोड़ मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी तथा दिनांक-31.07.2017 को ₹656,45,62,400.00 मात्र की प्रथम पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी। जिसके कारण योजना का कार्यान्वयन विलंब से हुआ है, जिसके लिए संबंधित तत्कालीन महाप्रबंधक (उत्तर), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना, तत्कालीन उप महाप्रबंधक, पी०आई०यू०, पूर्णिया, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० एवं डी०डी०एफ० कंसलटेंट प्रा० लि०, 501, बी०-०९, आई०टी०एल० टावर, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली से निगम के पत्रांक-433, दिनांक: 15.02.2018 के द्वारा प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्राक्कलन विलंब से जमा करने का दोषी मानते हुए स्पष्टीकरण किया गया है। तत्पश्चात् कृषि विभाग, बिहार सरकार एवं BAU, सबौर द्वारा Horticulture and Plantation work में कुछ परिवर्तन करते हुए नये प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया जिसके आलोक में पुनः प्राक्कलन को संशोधित किया गया तथा ₹656,97,75,710.00 मात्र का द्वितीय पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति दिनांक- 31.10.2017 को प्रदान की गयी। जिसके आलोक में निदेशक पर्वद के अनुमोदनोपरान्त Horticulture and Plantation work के साथ-साथ सभी आवश्यक मदों का पूरक परिमाण विपत्र दिनांक-24.12.2017 एवं दिनांक-03.01.2018 को पूरक एकरारनामा करने हेतु पी०आई०यू०, पूर्णिया को भेजा गया था।

कार्य के परामर्शी डी0डी0एफ0 कंस्लटेंट प्रा0 लि0, 501, बी0-09, आई0टी0एल0 टावर, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली को डिबार मुक्त करने का अद्यतन प्रस्ताव:-

दिनांक: 02.04.2018 को आहूत तकनीकी मूल्यांकन समिति, दिनांक: 04.04.2018 को आहूत निगम निविदा समिति एवं 04.04.2018 को आहूत प्राधिकृत निविदा समिति की बैठक में ड्राइंग विलंब से उपलब्ध कराने के कारण कार्य पूर्ण कराने में विलंब होने, दोषपूर्ण ड्राइंग उपलब्ध कराने एवं सभी ड्राइंग अब तक उपलब्ध नहीं कराने के लिए कार्य के परामर्शी परामर्शी डी0डी0एफ0 कंस्लटेंट प्रा0 लि0, 501, बी0-09, आई0टी0एल0 टावर, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली को डिबार करने के साथ पुस्तकालय एवं व्याख्यान कक्ष के फॉल्स सिलिंग का दोषपूर्ण ड्राइंग उपलब्ध कराने के लिए उक्त पुनर्निर्माण कार्य परामर्शी डी0डी0एफ0 कंस्लटेंट प्रा0 लि0, 501, बी0-09, आई0टी0एल0 टावर, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली द्वारा उनके खर्च पर कराया जाये अन्यथा एक माह के अंदर पुनर्निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराने पर उनके परामर्शी शुल्क से राशि वसूल कर कार्य कराने की अनुशंसा निदेशक पक्ष से की गई थी।

दिनांक: 05.04.2018 को आहूत निदेशक पक्ष की 42वीं बैठक में उपरोक्त वर्णित अनुशंसा के आलोक में कार्य के परामर्शी डी0डी0एफ0 कंस्लटेंट प्रा0 लि0, 501, बी0-09, आई0टी0एल0 टावर, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली को ड्राइंग विलंब से उपलब्ध कराने के कारण कार्य पूर्ण कराने में विलंब होने, दोषपूर्ण ड्राइंग उपलब्ध कराने एवं सभी ड्राइंग उक्त समय तक उपलब्ध नहीं कराने के कारण डिबार करने का निर्णय लिया गया था साथ ही पुस्तकालय एवं व्याख्यान कक्ष के फॉल्स सिलिंग का दोषपूर्ण ड्राइंग उपलब्ध कराने के लिए उक्त पुनर्निर्माण कार्य परामर्शी डी0डी0एफ0 कंस्लटेंट प्रा0 लि0, 501, बी0-09, आई0टी0एल0 टावर, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली द्वारा उनके खर्च पर कराया जाये अन्यथा एक माह के अंदर पुनर्निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराने पर उनके परामर्शी शुल्क से राशि वसूल कर कार्य कराने का निर्णय भी निदेशक पक्ष द्वारा लिया गया था।

निदेशक पक्ष के निर्णय के आलोक में मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना के पत्रांक:-1280, दिनांक: 25.04.2018 के द्वारा कार्य के परामर्शी डी0डी0एफ0 कंस्लटेंट प्रा0 लि0, 501, बी0-09, आई0टी0एल0 टावर, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली को डिबार करते हुए पुस्तकालय एवं व्याख्यान कक्ष के फॉल्स सिलिंग का पुनर्निर्माण कार्य एक महीने के अंदर अपने खर्च पर करने का निदेश दिया गया था, उनके द्वारा ऐसा नहीं करने पर परामर्शी शुल्क से इसकी वसूली का निदेश उप महाप्रबंधक, पी0आई0यू0, पूर्णिया, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 को दिया गया था।

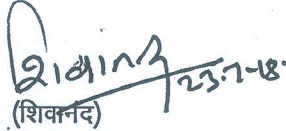
डी0डी0एफ0 कंस्लटेन्ट्स, पीतमपुरा, नई दिल्ली के द्वारा समर्पित अधियाचना की समीक्षा:-

कार्य के परामर्शी डी0डी0एफ0 कंस्लटेंट प्रा0 लि0, 501, बी0-09, आई0टी0एल0 टावर, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली ने अपने पत्रांक:- DDF/BR/BSBCCL/18/156, दिनांक: 26.06.2018 द्वारा Minutes of meeting की छायाप्रति (संलग्न) समर्पित करते हुए अनुरोध किया है कि अब उनके पास उक्त निर्माण कार्य से संबंधित कोई भी ड्राइंग लंबित नहीं है साथ ही पुस्तकालय एवं व्याख्यान कक्ष के फॉल्स सिलिंग का पुनर्निर्माण कार्य उनके द्वारा अपने खर्च पर करा दिया गया है। अतएव, मुझे डिबार मुक्त किया जाय। उक्त के आलोक में निगम के पत्रांक-130, दिनांक: 02.07.2018 द्वारा उप महाप्रबंधक, पी0आई0यू0, पूर्णिया, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 से प्रतिवेदन की माँग की गई, जिसके अनुपालन में उप महाप्रबंधक, पी0आई0यू0, पूर्णिया, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 ने अपने पत्रांक:-303, दिनांक: 09.07.2018 में उल्लेख किया है कि डॉ0 कलाम कृषि महाविद्यालय, किशनगंज के परामर्शी मे0 डी0डी0एफ0 कंस्लटेंट प्रा0 लि0, 501, बी0-09, आई0टी0एल0 टावर, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली के द्वारा निर्माण कार्य में प्रयुक्त सभी ड्राइंग्स संवेदक मे0 सापूरजी पालनजी एण्ड कंपनी प्रा0 लि0 को उपलब्ध करा दिया गया है तथा पुस्तकालय कक्ष एवं व्याख्यान कक्ष के फॉल्स सिलिंग के पुनर्निर्माण का कार्य (MEP सहित) भी अनुमोदित प्राक्कलन एवं विशिष्टियों के अनुरूप निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण करा दिया गया है। संसमय कार्य पूर्ण करने एवं निर्माण कार्य से संबंधित अब कोई भी डिजाइन लंबित नहीं रहने के कारण उप महाप्रबंधक, पी0आई0यू0, पूर्णिया, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 द्वारा निर्माण कार्य के परामर्शी डी0डी0एफ0 कंस्लटेंट प्रा0 लि0, 501, बी0-09, आई0टी0एल0 टावर, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली को डिबार मुक्त करने की अनुशंसा की गई है।

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा

मुख्य महाप्रबंधक द्वारा बतलाया गया कि दिनांक 19.07.2018 एवं 20.07.2018 को महाप्रबंधक(उत्तर), महाप्रबंधक(गुण नियंत्रण) के साथ स्थल भ्रमण यात्रा के क्रम में डॉ० कलाम कृषि महाविद्यालय, किशनगंज के निर्माण कार्यों का स्थल निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि उपरोक्त वर्णित कार्यों में उत्पन्न त्रुटियों का सुधार कर दिया गया है, परन्तु निरीक्षण के क्रम में महाविद्यालय की ओर से कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं थे। अतएव, त्रुटियों के निराकरण के उपरांत महाविद्यालय की ओर से सक्षम प्राधिकार की सम्पुष्टि अप्राप्त रहने के कारण समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उप महाप्रबंधक, पी०आई०यू० पूर्णिया सात दिनों के अन्दर महाविद्यालय के सक्षम प्राधिकार से सम्पुष्टि पत्र प्राप्त कर निगम कार्यालय को समर्पित करेंगे। समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि इस कार्यवाही की प्रति प्राचार्य, डॉ० कलाम कृषि महाविद्यालय, किशनगंज को भेजी जाय। यदि सात दिनों के अन्दर प्राचार्य से कोई आपति प्राप्त नहीं होती है तो वैसी स्थिति में मुख्य महाप्रबंधक तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक कर परामर्शी डी०डी०एफ कंस्ट्रेंट प्रा० लि०, 501, बी०-09, आई०टी०एल० टावर, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली को डिबार मुक्त करने की अनुशंसा के साथ निगम निविदा समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

इस कार्यवाही को निगम के वेबसाइट पर आवश्यक कार्रवाई हेतु डाली जाय।


(शिकन्द)

उप महाप्रबंधक

बि०रा०भ०नि०लि०, पूर्णिया।


23.07.18

(तपेश्वर प्रसाद साह)

महाप्रबंधक (वित्त)

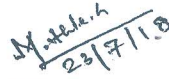
बि०रा०भ०नि०लि०, पटना।


23-7-18

(रंजित प्रसाद सिंह)

महाप्रबंधक (उत्तर)

बि०रा०भ०नि०लि०, पटना।


23/7/18

(मिथिलेश कु० मिश्रा)

महाप्रबंधक (मु०/परामर्शी सेवा)

बि०रा०भ०नि०लि०, पटना।


23/7/18

(राम सागर प्रसाद)

मुख्य महाप्रबंधक

बि०रा०भ०नि०लि०, पटना।